न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–777/2026

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना कांड सं0–79/2024 से उत्पन्न अंतर्गत धारा–147, 148, 406, 420, 323, 384, 386, 120बी भा.द.वि. एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट तथा धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

कौशर जमाल..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री सत्यदेव सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

23.06.2026

आवेदक/अभियुक्त कौशर जमाल की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना कांड सं0–79/2024, अंतर्गत धारा–147, 148, 406, 420, 323, 384, 386, 120(बी) भा.द.वि. एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट तथा धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचक ओम प्रकाश मांझी के द्वारा दिए गए परिवाद पत्र के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचक तथा अभियुक्तगण अगल–बगल के गॉव के रहने वाले है जिस वजह से एक दूसरे के यहॉ आना–जाना व विश्वास बहुत दिनों से था। अभियुक्त कुतुबुद्दीन अहमद अन्य अभियुक्तों के साथ सूचक के घर पर दिनांक 04.08.2020 को बारह बजे दिन में आया तथा सूचक से कहा कि वह उसके बेटे कैशर जमाल को सात लाख पच्चास हजार पॉच सौ रूपया बतौर कर्ज रोजगार करने के लिए दे दें। वह मई 2022 तक उसका सारा रूपया वापस कर देगा, जिस पर सूचक ने कहा कि उसके पास रूपया कम है। उसे अपने लोगों से कर्ज लेना पड़ेगा तब रूपया पूरा होगा। अगर वे निश्चित समय पर लौटाने का वादा करे तो वह कर्ज दे सकता है, जिसपर सभी प्रतिवादीगण ने एक साथ व एक स्वर में रूपया लौटाने का वादा किये तथा कल आने का वादा कर चले गये। दिनांक 05.08.2020 को अभियुक्तगण सूचक के घर पर आये जहॉ सूचक ने कैसर जमाल को नगद छानबे हजार पांच सौ रूपया दिया जिसे सरवर जमाल ने गिनकर अपने पॉकेट में रख लिया तथा कहा कि बाकी रकम नगद वो खाता में आपके पास भेजवा देगा। सूचक ने आशुतोष कुमार से अठासी हजार रूपया, संजीत कुमार से एक लाख उन्सठ हजार रूपया, पुनीत मांझी से चौवालीस हजार, सुनील कुमार से पच्चासी हजार रूपया, पिन्टू कुमार से अड़तालीस हजार रूपया, विशाल कुमार से तीरसठ हजार रूपया, जहीर मियां से सत्तर हजार रूपया एवं सुशील कुमार से पैंतीस हजार रूपया करने कैसर जमाल को एवं उनकी पत्नी के खाते पर तथा कुछ रकम नकद भिन्न–भिन्न तारीखों पर दिलवाया। मई 2022 में जब कर्ज का रूपया वापस मांगने के लिए सूचक अभियुक्तगण के पास गया तो अभियुक्तगण रूपया देने में आनाकानी व टालमटोल करने लगा। दिनांक 12.05.2022 को जब पंचायती किया तो उस दिन पंचों व गवाहो की उपस्थिति में कैसर

लगातार
23.06.2026

जमाल ने एक लिखित कागज बनाकर दिया व वादा किया है कि एक माह के अंदर रूपया वापस कर देगा, मगर इसके बाद भी अभियुक्तगण में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा टालमटोल की नीति अपनाते रहे। काफी प्रयास के बाद अभियुक्त कैसर जमाल ने दो चेक उन्सठ हजार रूपया का दिया जिसे वादी ने अपने खाता में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। सूचक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से वकालतन नोटिस भी किया। दिनांक 19.11.2023 को कुतुबुद्दीन अहमद अपनी पतोहू नसीमा जमाल के साथ आये तथा सूचक से बोले कि आप हफ्ता दस दिन रूक जाईये वापस दिलवाने का प्रयास करता हूँ। दिनांक 20.11.2023 को सुबह सात बजे अचानक अभियुक्तगण नजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर आये तथा आते ही कुतुबुद्दीन अहमद गंदी–गंदी गाली देने लगा तथा बोले कि इस साले दुसाध चमार का मन बढ़ गया है यह रूपया के लिए दरवाजा पर बार–बार चढ़ रहा है। आज इसे मारकर खत्म कर दो। इस पर नसीमा जमाल ने वादी के मुँह पर थुक दिया तथा कैसर जमाल व सरवर जमाल ने सूचक का लूंगी व गंजी पकड़कर नंगा कर बुरी तरह से मारपीट करने लगे। सरवर जमाल कहने लगा कि यह रूपया रंगदारी समझकर भूल जाओ और दुबारा रूपया की बात भी किया या कहा तो तुम्हारी हत्या निश्चित कराकर लाश भी गायब करवा देंगे।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध एक अन्य आपराधिक इतिहास दर्ज है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा, उसका वह पालन करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अभियोग के संदर्भ में कांड दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः बचाव पक्ष के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./अनु. ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है। अतएव, अभियोजन पक्ष की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना कांड सं0–79/2024, अंतर्गत धारा–147, 148, 406, 420, 323, 384, 386, 120(बी) भा.द.वि. एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट तथा अंतर्गत धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ0नि0) अधिनियम, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक द्वारा अपना पैसा मांगने पर उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान मारने की नियत से सूचक के साथ मारपीट करने के अपराध करने के लिए संस्थित किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है

लगातार

23.06.2026

(कांड दैनिकी की कंडिका 04,06,08 में वर्णित)। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आपराधिक मामले में अनु.जा./ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु. जा./ज.जा. (अ.उ.) अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त कौशर जमाल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।